पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत किए जाएँ:

आवेदन पत्र सभी प्रकार से पूर्ण होकर एक **सीलबंद लिफाफे** में निम्नलिखित शीर्षक (Superscription) अंकित करते हुए प्रस्तुत किए जाएँ—

"एपीसीपीएल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकान आवंटन हेतु आवेदन"

Type of Shop _________________________ S.No. __________________

प्रेषित:

वरिष्ठ प्रबंधक (मानव संसाधन)

अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (APCPL)

इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर परियोजना (IGSTPP)

झाड़ली, जिला झज्जर, हरियाणा

आवेदन **मानव संसाधन (HR) विभाग** में उपलब्ध नामित **ड्रॉप बॉक्स** के माध्यम से जमा किए जाएँ।

नोट: अपूर्ण आवेदन पत्र अथवा निर्धारित स्वप्रमाणित (Self-attested) दस्तावेजों के बिना प्राप्त आवेदन पत्रों को बिना किसी अन्य सूचना के निरस्त कर दिया जाएगा।

आवंटन हेतु प्रस्तावित दुकानों का विवरण

क्रम सं.	**दुकान का प्रकार**	**दुकान सं.**	**क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)**	**मासिक किराया***	**श्रेणी**	**टिप्पणी**
1	ए.सी./फ्रिज/टी.वी./आर.ओ. एवं अन्य विद्युत उपकरणों की मरम्मत की दुकान	09	8.894	₹682 + 18% जीएसटी	PAP/PAF	ऑल-इन-वन मरम्मत केंद्र
2	महिला/पुरुष दर्जी सह रेडीमेड वस्त्र एवं कपड़ा विक्रेता	10	12.640	₹969 + 18% जीएसटी	PAP/PAF	ऑल-इन-वन दुकान
3	मिठाई, बेकरी, जूस एवं स्नैक्स की दुकान *(केवल मिठाइयों की बिक्री की अनुमति होगी। दुकान में मिठाइयों का निर्माण/तैयारी करना अनुमत नहीं होगा।)*	12	13.020	₹998 + 18% जीएसटी	PAP/PAF	ऑल-इन-वन दुकान

***नोट:** उपर्युक्त दुकान किराया वर्तमान में प्रचलित दरों के अनुसार है, जिसे एपीसीपीएल की प्रचलित नीति के अनुसार समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है। दुकान किराये का संशोधन वर्तमान आवंटन प्रक्रिया/समिति के कार्यक्षेत्र में शामिल नहीं है।

एपीसीपीएल/आईजीएसटीपीपी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकान आवंटन हेतु आवेदन पत्र

आवेदित व्यापार/दुकान का नाम (दुकान क्रमांक): ____

1. आवेदक का विवरण

यहाँ अपना नवीनतम पासपोर्ट आकार का स्वप्रमाणित (Self-attested) फोटो चिपकाएँ

यहाँ अपना नवीनतम स्वप्रमाणित पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ चिपकाएँ

1. आवेदक/फर्म का नाम (अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में)

---

2. आवेदक/फर्म का नाम (हिंदी में)

---

3. उस परियोजना प्रभावित व्यक्ति/परिवार (PAP/PAF) का नाम जिसकी भूमि/आवासीय भूमि एपीसीपीएल द्वारा अधिग्रहित की गई है

संलग्न दस्तावेज:

एपीसीपीएल, झाड़ली द्वारा भूमि/आवासीय भूमि अधिग्रहण से संबंधित सरकारी अभिलेख अथवा एपीसीपीएल के अभिलेखों की प्रति।

4. आवेदक का परियोजना प्रभावित व्यक्ति/परिवार (PAP/PAF) से संबंध

संलग्न दस्तावेज:

ग्राम पंचायत/खंड कार्यालय/जिला परिषद द्वारा जारी परिवार रजिस्टर (Family Register) की प्रमाणित प्रति अथवा अन्य कोई वैध सरकारी अभिलेख।

5. आवेदक/साझेदार के पिता/पति का नाम

---

6. आयु (प्रमाण सहित): __________ वर्ष

संलग्न दस्तावेज:

विद्यालय त्याग प्रमाण-पत्र (School Leaving Certificate), जन्म प्रमाण-पत्र अथवा नगर निकाय/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी आयु प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।

---

2. अधिग्रहित भूमि/आवासीय भूमि का विवरण

(क) भूमि का विवरण

विवरण	**जानकारी**
खसरा/प्लॉट संख्या	
ग्राम	
जिला	
अधिग्रहण का वर्ष	
अधिग्रहित भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)	

(ख) आवासीय भूमि का विवरण (यदि लागू हो)

विवरण	जानकारी
खसरा/प्लॉट संख्या	
ग्राम	
जिला	
अधिग्रहण का वर्ष	
अधिग्रहित भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)	

संलग्न दस्तावेज:

एपीसीपीएल द्वारा भूमि/आवासीय भूमि अधिग्रहण संबंधी राजस्व अभिलेख एवं स्वामित्व संबंधी दस्तावेज।

---

3. शैक्षणिक एवं संपर्क विवरण

7. शैक्षणिक योग्यता

---

8. स्थायी पता एवं मोबाइल नंबर

पता:

मोबाइल नं.: ________________________

9. वर्तमान पत्राचार का पता एवं मोबाइल नंबर

पता:

मोबाइल नं.: ________________________

4. व्यवसाय संबंधी जानकारी

10. प्रस्तावित व्यापार/व्यवसाय में अनुभव (दस्तावेजी प्रमाण सहित)

---

11. प्रारंभिक रूप से प्रस्तावित निवेश राशि (₹)

---

5. आवेदक की घोषणा

12. क्या आपको कभी किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध (Convicted) किया गया है अथवा एपीसीपीएल द्वारा ब्लैकलिस्ट किया गया है?

☐ हाँ ☐ नहीं

यदि हाँ, तो विवरण दें:

---

13. क्या आपके कोई निकट संबंधी एपीसीपीएल/एनटीपीसी में कार्यरत हैं?

☐ हाँ ☐ नहीं

यदि हाँ, तो निम्नलिखित विवरण दें—

नाम संबंध विभाग पदनाम कर्मचारी संख्या

संलग्न दस्तावेजों की सूची

1. परियोजना प्रभावित व्यक्ति/परिवार (PAP/PAF) होने का प्रमाण।
2. PAP/PAF से संबंध का प्रमाण।
3. आयु का प्रमाण।
4. शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र।
5. अनुभव प्रमाण-पत्र/अन्य दस्तावेज।
6. अधिग्रहित भूमि/आवासीय भूमि संबंधी राजस्व अभिलेख।
7. पहचान प्रमाण-पत्र।
8. पते का प्रमाण।
9. नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो।
10. अन्य कोई प्रासंगिक दस्तावेज (यदि कोई हो)।

घोषणा

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी तथा संलग्न दस्तावेज मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य, सही एवं पूर्ण हैं।

यदि किसी भी स्तर पर प्रस्तुत कोई जानकारी अथवा दस्तावेज असत्य, गलत, भ्रामक अथवा तथ्य छिपाने वाला पाया जाता है, तो एपीसीपीएल बिना कोई कारण बताए मेरे आवेदन अथवा दुकान के आवंटन को निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

स्थान : ______________________
दिनांक : ______________________
आवेदक के हस्ताक्षर : ______________________
आवेदक का नाम : ______________________

नोट: विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 14.08.2026 सायं 5:30 बजे तक है।

एपीसीपीएल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानों के आवंटन हेतु पात्रता एवं शर्तें (भूमि विस्थापित/परियोजना प्रभावित व्यक्ति/परिवार (PAP/PAF) हेतु)

1. आवेदन आमंत्रण

अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एपीसीपीएल) की इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर परियोजना (आईजीएसटीपीपी), झाड़ली की स्थापना हेतु जिन **परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (Project Affected Persons - PAPs)** एवं **परियोजना प्रभावित परिवारों (Project Affected Families - PAFs)** की भूमि एवं/अथवा आवासीय भूमि का अधिग्रहण किया गया है, उनसे **आईजीएसटीपीपी टाउनशिप, झाड़ली, जिला झज्जर (हरियाणा)** स्थित **एपीसीपीएल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स** में दुकानों के आवंटन हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

दुकानों का आवंटन इस दस्तावेज़ में वर्णित **पात्रता मानदंड, प्राथमिकता मानदंड तथा नियम एवं शर्तों** के अनुसार किया जाएगा।

भाग - A

पात्रता की शर्तें (Eligibility Conditions)

कोई भी आवेदक तभी आवेदन करने का पात्र होगा, जब वह निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करता होः

1. परियोजना प्रभावित व्यक्ति/परिवार (PAP/PAF) की स्थिति

आवेदक परियोजना प्रभावित व्यक्ति (PAP) अथवा ऐसे परियोजना प्रभावित परिवार (PAF) का सदस्य होना चाहिए जिसकी भूमि एवं/अथवा आवासीय भूमि एपीसीपीएल/आईजीएसटीपीपी परियोजना हेतु अधिग्रहित की गई हो।

---

2. पूर्व आवंटन संबंधी प्रतिबंध

आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर पूर्व में एपीसीपीएल टाउनशिप में कोई दुकान आवंटित नहीं हुई हो।

---

3. संबंधित व्यवसाय का अनुभव

जिस व्यवसाय/दुकान के लिए आवेदन किया जा रहा है, उस व्यवसाय के संचालन का कम से कम **एक (01) वर्ष का अनुभव** रखने वाले आवेदकों को वरीयता प्रदान की जाएगी।

इसके समर्थन में आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे–

- अनुभव संबंधी शपथ-पत्र (नोटरीकृत)।
- सरपंच/वार्ड सदस्य/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण-पत्र।
- अनुभव के समर्थन में उपलब्ध अन्य प्रासंगिक दस्तावेज।

---

4. न्यूनतम निवेश क्षमता

आवेदक के पास निम्नानुसार न्यूनतम निवेश योग्य राशि उपलब्ध होना आवश्यक होगा–

श्रेणी	**न्यूनतम निवेश योग्य राशि**
शटरयुक्त दुकान	₹2,00,000/-

आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे–

- बैंक खाता विवरण (Bank Statement)।
- सावधि जमा (Fixed Deposit - FD) का प्रमाण (यदि लागू हो)।
- निवेश योग्य राशि की उपलब्धता संबंधी शपथ-पत्र।

---

5. चरित्र एवं आचरण

ऐसे आवेदक, जिन्हें किसी न्यायालय द्वारा किसी आपराधिक मामले में दोषसिद्ध (Convicted) घोषित किया गया हो अथवा जिन्हें किसी सरकारी विभाग, सार्वजनिक उपक्रम, वैधानिक प्राधिकरण अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा ब्लैकलिस्ट किया गया हो, दुकान आवंटन के लिए पात्र नहीं होंगे।

---

6. एक परिवार - एक दुकान

एक परियोजना प्रभावित व्यक्ति/परिवार (PAP/PAF) से केवल **एक आवेदन** स्वीकार किया जाएगा तथा प्रत्येक पात्र परिवार को अधिकतम **एक ही दुकान** आवंटित की जाएगी।

---

7. अभिलेखों एवं सूचनाओं का सत्यापन

आवेदक द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज, प्रमाण-पत्र, शपथ-पत्र, अनुभव संबंधी विवरण एवं अन्य सूचनाओं का सत्यापन एपीसीपीएल द्वारा किया जाएगा।

यदि किसी भी स्तर पर प्रस्तुत कोई सूचना अथवा दस्तावेज असत्य, कूटरचित, भ्रामक अथवा तथ्य छिपाने वाला पाया जाता है, तो आवेदन अथवा दुकान का आवंटन निरस्त किया जा सकेगा तथा आवश्यकतानुसार आवेदक के विरुद्ध विधिक कार्रवाई भी की जा सकती है।

भाग - B

अनिवार्य शर्तें (Mandatory Conditions)

निम्नलिखित शर्तें अनिवार्य एवं अपरिवर्तनीय (Non-negotiable) होंगी–

1. आवेदक एपीसीपीएल का **परियोजना प्रभावित व्यक्ति (PAP)** अथवा **परियोजना प्रभावित परिवार (PAF)** का सदस्य होना चाहिए।
2. आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पूर्व में एपीसीपीएल टाउनशिप में कोई दुकान आवंटित नहीं हुई हो।
3. आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पूर्व में एपीसीपीएल का कोई वाहन अनुबंध (Vehicle Contract) आवंटित नहीं हुआ हो।
4. आवेदक के पास न्यूनतम **₹2,00,000/- (रुपये दो लाख मात्र)** की निवेश योग्य राशि उपलब्ध हो, जिसका प्रमाण बैंक स्टेटमेंट/सावधि जमा (FD) तथा संबंधित बैंक द्वारा सत्यापित अभिलेखों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए।

5. प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार (PAP/PAF) केवल **एक दुकान** के आवंटन हेतु पात्र होगा।

भाग - C

आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज

विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित स्वप्रमाणित (Self-attested) दस्तावेज संलग्न किए जाएँ–

(A) पात्रता संबंधी दस्तावेज

1. PAP/PAF होने संबंधी नोटरीकृत शपथ-पत्र।
2. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी भूमि अधिग्रहण प्रमाण-पत्र।
3. टाउनशिप आवास आवंटन पत्र (जहाँ लागू हो)।
4. वैधानिक उत्तराधिकारी (Legal Heir) संबंधी शपथ-पत्र (यदि आवेदक आश्रित/वैधानिक उत्तराधिकारी है)।
5. आधार कार्ड।
6. पैन कार्ड।
7. जीएसटी पंजीकरण प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)।
8. हाल ही के दो पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटोग्राफ।

(B) अनुभव संबंधी दस्तावेज

1. अनुभव संबंधी शपथ-पत्र।
2. सरपंच/वार्ड पार्षद/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण-पत्र।

(C) वित्तीय दस्तावेज

1. बैंक स्टेटमेंट।
2. सावधि जमा (FD) का विवरण (यदि उपलब्ध हो)।
3. निवेश योग्य राशि की उपलब्धता संबंधी बैंक प्रमाण-पत्र।

(D) चरित्र एवं आचरण संबंधी दस्तावेज

1. निम्न में से किसी एक द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र–

- सरपंच; अथवा
- राजपत्रित अधिकारी; अथवा
- सक्षम प्राधिकारी।

2. निम्नलिखित घोषणा सहित शपथ-पत्र–

- किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध नहीं किया गया है।
- ऐसा कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है जिसमें दोषसिद्धि हुई हो।
- आवेदक का चरित्र एवं आचरण उत्तम है।

भाग - D

दुकान आवंटन हेतु प्राथमिकता के मानदंड

PAP/PAF की पात्रता स्थापित होने तथा सभी अनिवार्य शर्तों की पूर्ति के उपरांत प्राथमिकता सूची निम्नानुसार तैयार की जाएगी–

प्राथमिकता श्रेणी - I

भूमि विस्थापित (Land Outsees) आवेदकों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।

इस श्रेणी में प्राथमिकता का निर्धारण एपीसीपीएल परियोजना हेतु अधिग्रहित भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर किया जाएगा।

प्राथमिकता श्रेणी - II

अन्य सभी पात्र PAP/PAF, जिन्होंने पात्रता एवं अनिवार्य शर्तों की पूर्णतः पूर्ति की हो।

अपवर्जन (Exclusion Criteria)

निम्नलिखित आवेदकों पर विचार नहीं किया जाएगा–

1. ऐसे आवेदक अथवा उनके परिवार/आश्रित, जिन्हें अधिग्रहित भूमि के प्रतिकर (Compensation) के रूप में पूर्व में सरकारी नौकरी प्रदान की जा चुकी हो।
2. ऐसे परिवार, जिन्हें पूर्व में–
    - एपीसीपीएल टाउनशिप में कोई दुकान आवंटित की जा चुकी हो; अथवा
    - एपीसीपीएल में कोई वाहन अनुबंध आवंटित किया जा चुका हो।

समान प्राथमिकता की स्थिति में चयन (Tie-Breaking Criteria)

यदि दो या दो से अधिक आवेदक समान श्रेणी में आते हैं, तो प्राथमिकता निम्नानुसार निर्धारित की जाएगी–

प्रथम वरीयता

अधिक आयु वाले आवेदक को वरीयता दी जाएगी। आयु का निर्धारण निम्नलिखित अभिलेखों में अंकित जन्मतिथि के आधार पर किया जाएगा–

- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- मैट्रिकुलेशन प्रमाण-पत्र

द्वितीय वरीयता

यदि जन्मतिथि समान हो, तो प्राथमिकता आवेदक के प्रथम नाम के अंग्रेजी वर्णक्रम (A-Z) के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

आश्रितों की पात्रता

केवल परियोजना प्रभावित व्यक्ति/परिवार (PAP/PAF) के **प्रथम पीढ़ी के आश्रित (First Generation Dependents)** ही पात्र होंगे।

पोते/पोतियाँ तथा उनसे आगे की पीढ़ियाँ पात्र नहीं होंगी।

भाग - E

आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र एक **सीलबंद लिफाफे** में निम्नलिखित शीर्षक अंकित करते हुए प्रस्तुत किए जाएँ–

"एपीसीपीएल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकान आवंटन हेतु आवेदन"

प्रेषित:

प्रबंधक (मानव संसाधन)
अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (APCPL)
इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर परियोजना (IGSTPP)
झाड़ली, जिला झज्जर, हरियाणा

आवेदन **मानव संसाधन विभाग** में उपलब्ध नामित **ड्रॉप बॉक्स** के माध्यम से जमा किए जाएँ।

अपूर्ण आवेदन अथवा निर्धारित दस्तावेजों के बिना प्राप्त आवेदन पत्र बिना किसी सूचना के निरस्त कर दिए जाएँगे।

भाग - F

दुकान आवंटन की सामान्य नियम एवं शर्तें

1. अनुबंध अवधि

सफल आवेदक को एपीसीपीएल के साथ प्रारंभिक **ग्यारह (11) माह** की अवधि के लिए दुकान आवंटन अनुबंध निष्पादित करना होगा।

2. नवीनीकरण

ग्यारह (11) माह के पश्चात अनुबंध का नवीनीकरण पूर्णतः एपीसीपीएल प्रबंधन के विवेकाधिकार पर निर्भर करेगा, जो दुकान के प्रदर्शन, नियमों के अनुपालन, उपभोक्ता संतुष्टि तथा परिचालन आवश्यकताओं के आधार पर किया जाएगा।

3. देय शुल्क

आवंटी को निम्नलिखित शुल्क देय होंगे–

- लाइसेंस शुल्क
- विद्युत शुल्क
- जल शुल्क (जहाँ लागू हो)
- जीएसटी
- एपीसीपीएल द्वारा समय-समय पर निर्धारित अन्य शुल्क

4. दुकान का उपयोग

दुकान का उपयोग केवल आवंटन आदेश में उल्लिखित व्यापार/उद्देश्य के लिए ही किया जाएगा। थोक व्यापार (Wholesale Business) की अनुमति नहीं होगी।

5. उपकिराया/हस्तांतरण निषिद्ध

आवंटी दुकान का हस्तांतरण, उपकिराया (Subletting), असाइनमेंट अथवा किसी अन्य व्यक्ति को कब्जा नहीं देगा। उल्लंघन की स्थिति में दुकान का आवंटन तत्काल निरस्त किया जा सकेगा।

6. स्वच्छता एवं सफाई

आवंटी दुकान तथा उसके आसपास के क्षेत्र को सदैव स्वच्छ, व्यवस्थित एवं स्वास्थ्यकर स्थिति में रखेगा।

7. आवश्यक स्टॉक

आवंटी अपने व्यवसाय से संबंधित वस्तुओं का पर्याप्त स्टॉक सदैव उपलब्ध रखेगा।

8. सामान का प्रदर्शन

दुकान के बाहर किसी भी प्रकार का सामान, स्टॉक, बैनर, विज्ञापन सामग्री अथवा अन्य वस्तु प्रदर्शित या संग्रहीत नहीं की जाएगी।

9. मूल्य निर्धारण

सभी वस्तुओं का विक्रय उचित बाजार मूल्य पर किया जाएगा तथा मूल्य सूची दुकान में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

10. डिजिटल भुगतान

आवंटी द्वारा UPI, QR कोड, डेबिट/क्रेडिट कार्ड तथा अन्य अनुमोदित डिजिटल भुगतान प्रणालियों के माध्यम से भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

11. संरचनात्मक परिवर्तन

एपीसीपीएल की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना दुकान में किसी प्रकार का स्थायी निर्माण अथवा संरचनात्मक परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

12. दुकान संचालन समय

दुकान का संचालन एपीसीपीएल द्वारा समय-समय पर निर्धारित समयानुसार ही किया जाएगा।

13. आवासीय उपयोग निषिद्ध

दुकान का उपयोग आवासीय प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा तथा रात्रि विश्राम की अनुमति नहीं होगी।

14. अग्नि एवं सुरक्षा अनुपालन

दुकान में किसी भी प्रकार की ज्वलनशील, विस्फोटक, प्रतिबंधित, खतरनाक अथवा अवैध सामग्री का भंडारण अथवा विक्रय नहीं किया जाएगा।

15. आवंटन की स्वीकृति

सफल आवेदक को–

- आवंटन आदेश प्राप्त होने के **सात (07) दिनों** के भीतर स्वीकृति प्रस्तुत करनी होगी; तथा
- **पंद्रह (15) दिनों** के भीतर दुकान का कब्जा ग्रहण करना होगा।

अन्यथा आवंटन निरस्त किया जा सकेगा।

16. श्रम कानूनों का अनुपालन

आवंटी सभी लागू श्रम कानूनों, विशेषकर **बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम** तथा समय-समय पर किए गए संशोधनों का पूर्ण अनुपालन करेगा।

17. पुलिस सत्यापन

दुकान का कब्जा ग्रहण करने की तिथि से **तीन (03) माह** के भीतर आवंटी स्वयं तथा अपने नियोजित कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन एपीसीपीएल को प्रस्तुत करेगा।

18. निरीक्षण

एपीसीपीएल को किसी भी समय दुकान का निरीक्षण करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

19. प्रदर्शन की समीक्षा

दुकान के कार्य निष्पादन की समय-समय पर एपीसीपीएल प्रबंधन द्वारा समीक्षा की जाएगी। यदि प्रदर्शन असंतोषजनक पाया जाता है, तो **पंद्रह (15) दिन का नोटिस** देकर दुकान का आवंटन निरस्त किया जा सकता है।

भाग - G

विशिष्ट दुकानों हेतु विशेष शर्तें

(क) ए.सी./फ्रिज/टी.वी./आर.ओ. एवं अन्य विद्युत उपकरण मरम्मत की दुकान

1. दुकान में मरम्मत कार्य हेतु वास्तविक (Genuine) स्पेयर पार्ट्स एवं सहायक सामग्री उचित प्रतिस्पर्धी बाजार दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी।
2. दोषपूर्ण, नकली अथवा निम्न गुणवत्ता वाले स्पेयर पार्ट्स अथवा उत्पादों का विक्रय अथवा उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।
3. आवंटी मरम्मत एवं रखरखाव कार्य के लिए आवश्यक उपकरण, औजार, परीक्षण यंत्र तथा अन्य आवश्यक आधारभूत सुविधाएँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रखेगा।
4. मरम्मत एवं रखरखाव सेवाएँ पेशेवर एवं संतोषजनक गुणवत्ता के साथ प्रदान की जाएँगी ताकि ग्राहकों को बेहतर सेवा प्राप्त हो सके।

(ख) महिला/पुरुष दर्जी सह रेडीमेड वस्त्र एवं कपड़ा विक्रेता

1. दुकान में स्वीकृत व्यापार श्रेणी के अनुरूप पर्याप्त मात्रा एवं विविधता में कपड़े, रेडीमेड परिधान, सिलाई सामग्री, दर्जी कार्य हेतु आवश्यक सहायक सामग्री तथा अन्य संबंधित वस्तुएँ उपलब्ध रखी जाएँगी।
2. विक्रय हेतु उपलब्ध सभी वस्तुएँ उचित गुणवत्ता की होंगी तथा उनका विक्रय युक्तिसंगत बाजार दरों पर किया जाएगा।
3. आवंटी ग्राहकों को संतोषजनक सेवा प्रदान करेगा तथा दुकान को सदैव स्वच्छ, व्यवस्थित एवं स्वास्थ्यकर स्थिति में रखेगा।

(ग) मिठाई / बेकरी / जूस / स्नैक्स की दुकान

1. दुकान में स्वीकृत व्यापार श्रेणी से संबंधित सभी वस्तुएँ उचित मूल्य पर उपलब्ध कराई जाएँगी तथा उनके मूल्य आसपास के प्रचलित बाजार मूल्य से अधिक नहीं होंगे।
2. मिठाई, बेकरी उत्पाद, जूस, स्नैक्स तथा अन्य शीघ्र नष्ट होने वाली खाद्य सामग्री के सुरक्षित भंडारण एवं प्रदर्शन हेतु उपयुक्त एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, डिस्प्ले काउंटर तथा अन्य आवश्यक भंडारण सुविधाएँ उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
3. आवंटी आवश्यकतानुसार भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) का लाइसेंस/पंजीकरण सहित सभी वैधानिक लाइसेंस, पंजीकरण एवं अनुमतियाँ प्राप्त करेगा तथा उनकी वैधता बनाए रखेगा।

4. खाद्य पदार्थों की तैयारी (जहाँ अनुमत हो), भंडारण, रख-रखाव, हैंडलिंग एवं विक्रय के दौरान स्वच्छता एवं खाद्य सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

भाग - H

दुकान आवंटन का निरस्तीकरण

एपीसीपीएल निम्नलिखित परिस्थितियों में **पंद्रह (15) दिन का नोटिस** देकर दुकान का आवंटन निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है–

- मिथ्या सूचना अथवा जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना।
- आवंटन की शर्तों का उल्लंघन करना।
- दुकान का अनधिकृत हस्तांतरण अथवा उपकिराये (Subletting) पर देना।
- किसी आपराधिक मामले में दोषसिद्धि अथवा पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन का प्रतिकूल पाया जाना।
- असंतोषजनक कार्य निष्पादन।
- एपीसीपीएल द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का उल्लंघन।
- आवंटित व्यापार/दुकान का संचालन न करना।

भाग - I

एपीसीपीएल के अधिकार

एपीसीपीएल निम्नलिखित अधिकार सुरक्षित रखता है–

- किसी भी आवेदन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करना।
- पात्रता की शर्तों में संशोधन करना।
- आवंटन की शर्तों में परिवर्तन करना।
- दुकानों की संख्या में वृद्धि अथवा कमी करना।
- आवंटन प्रक्रिया को स्थगित, वापस लेना अथवा निरस्त करना।
- किसी भी स्तर पर बिना कोई कारण बताए किसी भी दुकान का आवंटन निरस्त करना।

एपीसीपीएल प्रबंधन का निर्णय सभी आवेदकों पर अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

भाग - J

विवाद निवारण

दुकान आवंटन प्रक्रिया से संबंधित अथवा उससे उत्पन्न किसी भी विवाद को एपीसीपीएल के **परियोजना प्रमुख (Head of Project - HOP)** अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

परियोजना प्रमुख (HOP)/एपीसीपीएल का निर्णय सभी पक्षों पर अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

उपरोक्त के अधीन, इस संबंध में उत्पन्न किसी भी न्यायिक विवाद पर **झज्जर (हरियाणा) स्थित सक्षम न्यायालयों** का ही विशिष्ट अधिकार क्षेत्र (Exclusive Jurisdiction) होगा।

महत्वपूर्ण सूचना

केवल आवेदन पत्र प्रस्तुत कर देने मात्र से किसी भी आवेदक को दुकान के आवंटन का कोई अधिकार, दावा अथवा पात्रता प्राप्त नहीं होगी।

दुकान का आवंटन पूर्णतः निम्नलिखित पर निर्भर करेगा–

- निर्धारित पात्रता की पूर्ति;
- प्रस्तुत दस्तावेजों एवं सूचनाओं का सफल सत्यापन;
- सभी नियम एवं शर्तों का अनुपालन;
- दुकानों की उपलब्धता; तथा
- एपीसीपीएल प्रबंधन की अंतिम स्वीकृति।

शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया

01. आवेदन केवल निर्धारित प्रपत्र (Prescribed Application Form) में ही स्वीकार किए जाएंगे।
02. प्रत्येक आवेदक के लिए आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक स्वप्रमाणित (Self-attested) प्रमाण-पत्र एवं अन्य निर्धारित दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा।
03. प्राप्त आवेदनों की जांच निर्धारित पात्रता शर्तों के आधार पर की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर आवेदक को साक्षात्कार (Interview) हेतु भी बुलाया जा सकता है।
04. यदि आवेदन पत्र के साथ संलग्न कोई भी दस्तावेज असत्य, त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण अथवा निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं पाया जाता है, तो संबंधित आवेदन दुकान आवंटन प्रक्रिया हेतु अपात्र माना जाएगा।
05. यदि किसी आवेदक को किसी न्यायालय द्वारा किसी आपराधिक मामले में दोषसिद्ध (Convicted) घोषित किया गया हो अथवा उसके विरुद्ध ऐसा आपराधिक मामला हो जिसके कारण उसका आचरण अथवा चरित्र संतोषजनक न पाया जाए, तो वह दुकान आवंटन प्रक्रिया के लिए अपात्र माना जाएगा।
06. सफल आवंटी को दुकान का कब्जा ग्रहण करने की तिथि से **तीन (03) माह** के भीतर अपना तथा अपने द्वारा नियोजित कर्मचारियों का **पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन (Police Verification Report)** एपीसीपीएल को प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित अवधि के भीतर पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन प्रस्तुत न किए जाने की स्थिति में दुकान का आवंटन निरस्त किया जा सकता है।

शपथ-पत्र (AFFIDAVIT)

(उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जाए तथा नोटरी पब्लिक/ कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित किया जाए।)

मैं, ____________________________, पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ____________________________, आयु _____ वर्ष, निवासी ____, एतदद्वारा सत्यनिष्ठा से शपथपूर्वक कथन एवं घोषणा करता/करती हूँ कि—

1. कि मैंने एपीसीपीएल टाउनशिप, झाड़ली में _______________________________ व्यापार हेतु दुकान/स्टॉल के आवंटन के लिए आवेदन किया है।

2. कि श्री/श्रीमती _______________________________ परियोजना प्रभावित व्यक्ति (PAP) हैं, जिनकी भूमि/आवासीय भूमि एपीसीपीएल, झाड़ली की स्थापना हेतु अधिग्रहित की गई थी तथा मेरा उक्त PAP से संबंध ____________________________ है, जो ____________________________ द्वारा जारी अभिलेख/प्रमाण-पत्र के अनुसार प्रमाणित है।

3. कि मैं एपीसीपीएल, झाड़ली के परियोजना प्रभावित परिवार (PAF)/परियोजना प्रभावित व्यक्ति (PAP) से संबंधित हूँ तथा मेरे नाम पर एपीसीपीएल टाउनशिप में पूर्व में कोई दुकान/स्टॉल आवंटित नहीं किया गया है।

4. कि मुझे अथवा मेरे परिवार के किसी सदस्य/आश्रित को परियोजना हेतु अधिग्रहित भूमि/आवासीय भूमि के बदले अथवा उसके प्रतिकर के रूप में एपीसीपीएल, हरियाणा सरकार अथवा किसी अन्य एजेंसी द्वारा कोई रोजगार प्रदान नहीं किया गया है।

5.कि एपीसीपीएल द्वारा अधिग्रहित भूमि/आवासीय भूमि का विवरण निम्नानुसार है—

विवरण	**जानकारी**
खसरा/प्लॉट संख्या	
ग्राम	
जिला	
अधिग्रहण का वर्ष	
अधिग्रहित क्षेत्रफल	
राजस्व अभिलेख संदर्भ	
अधिग्रहण के समय स्वामी का नाम	

6. कि मैंने एपीसीपीएल टाउनशिप में दुकानों/स्टॉल के आवंटन एवं लाइसेंस से संबंधित सभी नियम एवं शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ एवं समझ लिया है तथा उनका पूर्ण रूप से पालन करने का वचन देता/देती हूँ।

7. कि यदि मेरे पक्ष में दुकान/स्टॉल का आवंटन किया जाता है, तो मैं अथवा मेरे परिवार का कोई सदस्य/आश्रित उक्त आवंटन के आधार पर एपीसीपीएल में रोजगार हेतु किसी प्रकार की प्राथमिकता, रियायत अथवा अधिकार का दावा नहीं करेगा।

8. कि यदि दुकान/स्टॉल का आवंटन/लाइसेंस प्रदान किया जाता है, तो वह पूर्णतः मेरे व्यक्तिगत उपयोग हेतु होगा तथा इससे मेरे उत्तराधिकारियों, कानूनी प्रतिनिधियों, नामित व्यक्तियों अथवा किसी अन्य व्यक्ति को कोई अधिकार, स्वामित्व अथवा हित प्राप्त नहीं होगा।

मेरी मृत्यु, दुकान/स्टॉल का समर्पण, आवंटन निरस्तीकरण अथवा लाइसेंस समाप्ति की स्थिति में आवंटन स्वतः निरस्त माना जाएगा तथा दुकान/स्टॉल बिना किसी दावे के एपीसीपीएल को वापस हो जाएगा। मेरे उत्तराधिकारी अथवा कानूनी प्रतिनिधि इस संबंध में कोई दावा प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे।

9. कि मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई सभी सूचनाएँ तथा आवेदन के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज सत्य एवं वास्तविक हैं। यदि किसी भी स्तर पर कोई सूचना, घोषणा अथवा दस्तावेज गलत, असत्य, जाली, कूटरचित अथवा भ्रामक पाया जाता है, तो एपीसीपीएल को मेरा आवेदन/आवंटन/लाइसेंस बिना किसी सूचना के निरस्त करने का अधिकार होगा तथा लागू कानूनों एवं नियमों के अंतर्गत मेरे विरुद्ध उचित कार्रवाई की जा सकेगी।

10. कि यह शपथ-पत्र एपीसीपीएल, झाड़ली को PAP/PAF श्रेणी के अंतर्गत दुकान/स्टॉल आवंटन हेतु मेरे आवेदन के संबंध में प्रस्तुत करने के लिए निष्पादित किया जा रहा है।

मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि इस शपथ-पत्र की समस्त सामग्री मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है तथा इसमें कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया नहीं गया है।

शपथकर्ता (DEPONENT)

(शपथकर्ता के हस्ताक्षर)

सत्यापन (VERIFICATION)

मैं, ______________________________, उपर्युक्त शपथकर्ता, एतदद्वारा सत्यापित करता/करती हूँ कि इस शपथ-पत्र के अनुच्छेद संख्या 1 से 10 तक में वर्णित समस्त कथन मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही हैं तथा इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है और न ही कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया गया है।
सत्यापित स्थान: ___________________________

दिनांक: _____ _____________ 2026

शपथकर्ता (DEPONENT)
(शपथकर्ता के हस्ताक्षर)

मेरे समक्ष इस _____ दिनांक _____________ 2026 को ___________________________ स्थान पर शपथपूर्वक हस्ताक्षरित एवं सत्यापित किया गया।

नोटरी पब्लिक
(मुहर एवं हस्ताक्षर)

घोषणा-पत्र (DECLARATION)

मैं, ______________________________________, एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई समस्त जानकारी मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण एवं सही है।

मैं आगे यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि किसी भी स्तर पर मेरे द्वारा प्रस्तुत कोई भी सूचना असत्य, गलत, भ्रामक अथवा छिपाई गई पाई जाती है, तो एपीसीपीएल को तत्काल प्रभाव से दुकान का आवंटन/लाइसेंस निरस्त करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में, मैं एपीसीपीएल द्वारा आवंटन/लाइसेंस निरस्तीकरण की सूचना दिए जाने की तिथि से **72 (बहत्तर) घंटे** के भीतर अपने स्वयं के खर्च एवं जोखिम पर लाइसेंस समर्पित कर दूँगा/दूँगी तथा आवंटित दुकान/परिसर का कब्जा खाली कर दूँगा/दूँगी। ऐसा न करने की स्थिति में, एपीसीपीएल अपने नियमों एवं विनियमों के अनुसार उचित कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा इस संबंध में मेरा एपीसीपीएल के विरुद्ध कोई दावा नहीं होगा।

मैं दुकान आवंटन से संबंधित सभी नियम एवं शर्तों, लाइसेंस अनुबंध तथा एपीसीपीएल द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले सभी निर्देशों, दिशा-निर्देशों, नियमों एवं आदेशों का पालन करने का वचन देता/देती हूँ।

मैं एतद्द्वारा पुष्टि करता/करती हूँ कि मैंने दुकान के आवंटन एवं लाइसेंस से संबंधित सभी नियम एवं शर्तों को पढ़ लिया है, समझ लिया है तथा उन्हें स्वीकार करता/करती हूँ और उनका अक्षरशः एवं पूर्ण भावना के साथ पालन करने के लिए सहमत हूँ।

मैं आगे सहमत हूँ कि दुकान के आवंटन के आधार पर मैं अथवा मेरे किसी आश्रित परिवार सदस्य द्वारा एपीसीपीएल में रोजगार से संबंधित किसी भी मामले में किसी प्रकार की प्राथमिकता, रियायत अथवा विशेष विचार का दावा नहीं किया जाएगा।

मैं यह भी सहमत हूँ कि मुझे प्रदान किया गया दुकान आवंटन/लाइसेंस पूर्णतः अस्थायी एवं व्यक्तिगत प्रकृति का होगा तथा इससे आवंटित परिसर पर किसी भी प्रकार का किरायेदारी अधिकार (Tenancy Right), स्वामित्व अधिकार अथवा अन्य कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

मेरी मृत्यु की स्थिति में, एपीसीपीएल द्वारा अन्यथा निर्णय न लिए जाने तक दुकान का आवंटन/लाइसेंस स्वतः समाप्त माना जाएगा तथा मेरे किसी भी कानूनी उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि अथवा उत्तरवर्ती व्यक्ति को उक्त दुकान/परिसर पर कोई अधिकार, स्वामित्व, हित अथवा दावा प्राप्त नहीं होगा।

मैं दुकान/लाइसेंस के आवंटन, संचालन, निरंतरता, नवीनीकरण, हस्तांतरण अथवा निरस्तीकरण से संबंधित सभी मामलों में एपीसीपीएल/लाइसेंसदाता के निर्णयों का पालन करने का वचन देता/देती हूँ।

मैं एपीसीपीएल द्वारा समय-समय पर निर्धारित सुरक्षा जमा राशि (Security Deposit) एवं अन्य शुल्क जमा करने तथा सभी लागू नियमों एवं विनियमों का पालन करने का भी वचन देता/देती हूँ।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैंने इस घोषणा-पत्र की समस्त सामग्री को पूर्ण रूप से समझ लिया है तथा बिना किसी दबाव, जबरदस्ती अथवा अनुचित प्रभाव के अपनी स्वेच्छा से इस पर हस्ताक्षर किए हैं।

आवेदक के हस्ताक्षर: ___________________________

आवेदक का नाम: ________________________________

दिनांक: ___________________________

स्थान: ___________________________

साक्षी (WITNESSES)

1.

हस्ताक्षर: ___________________________

नाम: ________________________________

पता: ________________________________

2.

हस्ताक्षर: ___________________________

नाम: ________________________________

पता: ________________________________